497 स्मरण–पत्र–तृतीय

राजस्थान–सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राजस्थान–जयपुर।

क्रमांकः नर्सिंग / वरि0 / वि0कर्म0 / (एफ–197) / 18 /   दिनांकः

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन–जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर,
बीकानेर, भरतपुर, कोटा।

विषयः– जीएनएम कोर्स उत्तीर्ण विभागीय कर्मचारियों की डीपीसी आयोजित किये जाने हेतु ए0सी0आर0 भिजवाने बाबत्।

संदर्भः– निदेशालय के पत्र कमांकः नर्सिग / वरि0 / (वि0कर्म0) / एफ–197 / 18 / 125 दिनांक–27.06.2018, कमांक–173 दिनांक–28.08.2018 एवं कमांक–182 दिनांक–11.09.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रों के द्वारा आपको विभागीय कर्मचारी जो जीएनएम कोर्स उत्तीर्ण एडहोक नर्स श्रेणी–द्वितीय के पद पर पदौन्नत कार्मिकों की नियमित डीपीसी आयोजित किये जाने हेतु सूची भेजकर कार्मिकों की वर्ष 2007–08 से 2017–18 तक की एसीआर भिजवाने हेतु लिखा गया था परन्तु आज दिनांक तक वांछित एसीआर प्राप्त नही हुई है। कार्मिकों की एसीआर के अभाव में डीपीसी किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। एसीआर के अभाव में डीपीसी द्वारा पदौन्नति पर विचार नहीं करते हुए पदानवत किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी कार्मिक की स्वयं की होगी।

अतः आप से संबंधित कर्मचारी को पाबन्द करें कि वह पूर्व में संलग्न सूची अनुसार बकाया एसीआर तत्काल भरकर संबंधित प्रतिवेदक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रतिवेदक अधिकारी / समीक्षक अधिकारी की टिप्पणी उपरान्त आप विशेष वाहक के द्वारा एसीआर निदेशालय को 03 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। इसके अतिरिक्त जीएएनएम प्रशिणार्थी को उनके प्रशिक्षण अवधि की एसीआर भी स्वय के हस्ताक्षरित भिजवाई जानी आवश्यक है। संबंधित कार्मिकों के विरूद्ध प्रतिकूल सेवा रिकार्ड की स्थिति यथा चेतावनी, दण्ड, क्रिमिनल केस, निलम्बन, विभागीय जांच, लम्बी अनुपस्थिति, कोर्टकेस एवं दिनांकः 1 जून 2002 या उसके पश्चात संतानों की संख्या में दो से अधिक की बढोतरी की स्थिति से भी अवगत करावें।

(राकेश शर्मा),
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान–जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग / वरि0 / वि0कर्म0 / (एफ–197) / 18 / 214   दिनांकः 26\10\18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय को भेज कर लेख है कि पूर्व में संलग्न सूची में वर्णित कर्मचारी जो आपके अधीन पदस्थापित हों उनके वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन को आपके स्तर से पूर्ण कर अविलम्ब विभागीय जांच की सूचना के साथ भिजवाने की व्यवस्था करें।
2. प्रभारी सर्वररूम, मुख्यालय को भेज कर लेख है कि उक्त पत्र विभाग की वेवसाईट पर प्रकाशित करने का श्रम करें ।

(राकेश शर्मा),
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान–जयपुर